—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :—10/2020

उनवान

1. छोगा सिंह पुत्र डूंगा सिंह
2. मन्ना सिंह पुत्र डूंगा सिंह,
3. झूमी देवी पत्नी रतन सिंह,
4. राम सिंह पुत्र रतन सिंह जाति रावत नि. चाट सरदारपुरा नसीराबाद

—— वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. कमल सिंह
2. तारा सिंह पुत्रगण लाखा सिंह समसत जाति रावत निवासी ग्राम चाट सरदारपुरा नसीराबाद
3. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 2 जरियें अधिवक्ता श्री डी.डी. शर्मा,
3 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 30/7/22

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चाट सरदारपुरा के वंर्किग खसरा नम्बर 1271 के हाल खसरा नम्बर 922 व 925 की आराजी वादी संख्या 1 की खातेदारी की है। वंर्किग खसरा नम्बर 1273 के हाल खसरा नम्बर 924 की आराजी प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी की हैं वंर्किग खसरा नम्बर 1274 के हाल खसरा नम्बर 923 रकबा 0.02 गे.मु. चाह के खातेदार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है। वंर्किग खसरा नमबर 1274 के हाल खसरा नम्बर 923 चाह की स्थिति राजस्व मानचित्र में बंदोबस्त विभाग द्वारा बिना किसी अधिकार के परिवर्तित कर दी है। चाह का रकबा छोटा कर दिया हे तथा प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी खसरा नम्बर 924 का रकबा बढा दिया हैं। वादी की खातेदारी खसरा नम्बर 922 व 925 को मानचित्र में गलत अंकित कर दिया हैं। उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण वादीगण की खातेदारी आराजी को हडपने के लिये आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा को राजस्व मानचित्र में पूर्व अनुसार दुरूस्त कर प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 2ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी की भूमि 924/1273 को हडपने के लिये उक्त वाद पत्र पेश किया है। वादीगण व प्रतिवादीगण के

—2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:04:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पिता के मध्य आपसी सहमती से बंटवारा हो चुका हैं वादी द्वारा खसरा नम्बर 923/1274 पर भी जबरन कब्जा कर लिया है। वादी के उक्त कृत्य के कारण पुलिस द्वारा भी पाबंद किया गया है। बंदोबसत विभाग द्वारा भूमि के बंदोबसत के समय वादीगण द्वारा कोई आपत्ति पेश नही की गयी। राजस्व कार्मिको द्वारा मौके परसीमाज्ञान में मौका सही पाया गया है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में निम्न तनकी कायम की गयी :-

1. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने के कारण वादीगण नक्शा दुरूस्ती के अधिकारी है ?

—— वादी

2. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने कमल का शपथ पत्र पेश किया किन्तु गवाह को जिरह हेतु उपस्थित नही करने के कारण कमल का शपथ पत्र नही पढा गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रकरण में लिखित बहस पेश की।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् किया जाता है :-

तनकी संख्या 1 :-

ग्राम चाट सरदारपुरा के वंर्किग खसरा नम्बर 1271 के हाल खसरा नम्बर 922 व 925 की आराजी वादी संख्या 1 की खातेदारी की है। वंर्किग खसरा नम्बर 1273 के हाल खसरा नम्बर 924 की आराजी प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी की हैं वंर्किग खसरा नम्बर 1274 के हाल खसरा नम्बर 923 रकबा 0.02 गे.मु. चाह के खातेदार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है। वंर्किग खसरा नम्बर 1274 वंर्किग मानचित्र में वंर्किग खसरा नम्बर 1271 की पश्चिमी भुजा के लगते हुये स्थित था। हाल राजस्व मानचित्र में चाह के खसरा नम्बर 923 को खसरा नम्बर 925 से दूर अंकित करते हुये राजस्व मानचित्र की स्थिति में परिवर्तन कर दिया हैं। प्रतिवादीगण का कथन है कि आराजी मुतनाजा का विभाजन हो गया है, किन्तु राजस्व अभिलेख में भूमि के विभाजन का अंकन नही है। तहसीलदार नसीराबाद आराजी मुतनाजा का भू धारक है जिसकी सहमती के बिना पक्षकारों के मध्य मौखिक/ लिखित विभाजन विधि अनुकूल नही होने से मान्य नही है। प्रतिवादीगण का सह भी कथन है कि सभी वारिसान को पक्षकार नही बनाया है किन्तु वादीगण द्वारा उक्त वाद मात्र नक्शा दुरूस्ती हेतु पेश किया है उसके द्वारा आराजी मुतनाजा पर खातेदारी उद्घोषणा नही चाही है। प्रतिवादी ने यह भी स्पष्ट नही किया हे कि किस हितबद्व व्यकित को प्रकरण में पक्षकार मुर्तिब नही किया गया है। प्रतिवादी द्वारा भी प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों को संयोजित करने हेतु कोई आवेदन पत्र पेश नही किया है। आराजी मुतनाजा का वंर्किग व हाल राजस्व मानचित्र तुलनात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 11.12.19 को मौका पर्चा पेश किया गया है उक्त मौका पर्चा खसरा नम्बर 921, 924 व 922/1773 के सीमाज्ञान का हैं। उक्त दिनांक को खसरा नम्बर 923 चाह का सीमाज्ञान नही हुआ है। खसरा नम्बर 92[illegible] की सह खातेदारी में है। उक्त चाह का राजस्व मानचित्र दुरूस्त होने से प्रतिव[illegible] हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] 923 चाह का जितना रकबा जमाबंदी में अंकित है [illegible] राजस्व मानचित्र दुरूस्त होने के बाद अभिलेख में किया जायेगा। अर्थात प्रतिवादी की खातेदारी खसरा नम्बर 924 व चाह खसरा

——3

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:04:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

नम्बर 923 का रकबा जमाबंदी में परिवर्तित नही होगा। पवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख से वाद के कथनों की ताईद होती है। वादीगण राजस्व मानचित्र दुरूस्त करानें के अधिकारी है।

उक्तानुसार वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद ग्राम चाट सरदारपुरा के हाल खसरा नम्बर 922, 923, 924 व 925 के हाल व वंर्किग राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटी को उक्तानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:04:14 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

छोगा बनाम कमल

दावा बाबत :–88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर –10/2020
पेश करने की दिनांक –06.01.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई डी.डी. शर्मा व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद ग्राम चाट सरदारपुरा के हाल खसरा नम्बर 922, 923, 924 व 925 के हाल व वंर्किग राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटी को उक्तानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 30 माह 7 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:04:14 IST
Reason: SelfAttested